

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग



वार्षिक

प्रशासनिक रिपोर्ट

2017-2018

विषय सूचि

क्र० सं०	अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय-1	परिचय	4
2.	अध्याय-2	संगठनात्मक ढांचा	4-9
3.	अध्याय-3 (1)	(क) कौशल विकास भत्ता योजना, 2013	10-13
		(ख) मॉडल कैरियर सैन्टर	13-14
	(2)	(क) रोज़गार शाखा	14-16
		(ख) बेरोज़गारी भत्ता योजना, 2017	16-18
		(ग) विशेष रोज़गार कक्ष (विकलांगों हेतु)	18
		(घ) केन्द्रीय रोज़गार कक्ष की गतिविधियां	18-19
		(ङ) रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम	19-23
4.	अध्याय-4	श्रम खण्ड	23-35
5.	अध्याय-5	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण	35-37
6.	अध्याय-6	बजट / वास्तविक खर्च वर्ष 2017-18	37-39
7.	अध्याय-7	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत अधिसूचना दिनांक 10-4-2007	39-44
8.	अध्याय-8	सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत 31 मार्च 2018 की स्थिति दर्शाती विभागीय ए०पी०आई०ओ०, पी०आई०ओ० व एपीलेट अथोरिटी का विवरण	44-54

श्रम एवं रोज़गार विभाग की वित्त वर्ष 2017–2018 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय—1

परिचय

श्रम एवं रोज़गार विभाग, वर्ष 1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आशावादी लोगों की सेवा में दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिये तीन स्तरों पर सेवाएँ उपलब्ध करवाता है:-

1. **रोज़गार प्राप्ति से पहले सेवाएं:-** विभाग अपने रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास तथा जीविका परामर्श/व्यवसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित सेवाएँ उपलब्ध करवाता है। इसके तहत पात्र युवा आवेदकों को 1000/-रूपये 1500/-रूपये की दर से कौशल विकास भत्ता प्रतिमाह दिया जाता है, जिससे उनकी दक्षता का स्तर बढ़े, तथा वे आसानी से अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकें।
2. **रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिये सेवाएं :-** विभाग प्रदेश में स्थित रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की मांगानुसार पात्र पंजीकृत आवेदक के नामों का सम्प्रेषण करता है। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन-शक्ति की मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के माध्यम से कैम्पस इन्टरव्यू/रोज़गार मेलों का आयोजन करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोज़गार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।
3. **रोज़गार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं :-** इसके अन्तर्गत श्रम कानूनों (जिनकी संख्या 28 केन्द्रीय एवं राज्य है) के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कारखानों में औद्योगिक शान्ति, सोहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरणों में पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय शिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2017–2018 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा, बजट विवरण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित सूचना इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दी गयी है।

अध्याय-2

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा

2017-18 में श्रम एवं रोज़गार विभाग ने माननीय उद्योग श्रम एवं रोज़गार मंत्री की देख रेख में कार्य किया जो इस विभाग के प्रभारी मंत्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार) तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोज़गार) द्वारा सहयोग दिया गया।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार "विभागाध्यक्ष" के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है:-

1. (क) निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त की देखरेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप-श्रमायुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत श्रमायुक्त को "मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किया गया है तथा संयुक्त-श्रमायुक्त "अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक" एवं उप-श्रमायुक्त "उप मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिये दो उप निदेशक कारखाना के पद सृजित हैं जिनमें से एक शिमला में तथा एक ऊना में स्वीकृत है। एक पद सहायक निदेशक (कारखाना) रसायन का रिक्त है।

इन का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित है:-

1. उप निदेशक कारखाना-शिमला
जिला-शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन (बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।
2. उप निदेशक कारखाना, ऊना
जिला-कांगडा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लु, लाहौल-स्पीति व सिरमौर तथा बद्दी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र।
उप निदेशक (कारखाना) शिमला, निदेशालय का कार्य जो कि कारखाना खण्ड से सम्बन्धित है, भी देख रहे हैं।

(ग) इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोज़गार से सम्बन्धित कार्य-कलापों के लिये निदेशक रोज़गार की देख रेख में उप-निदेशक रोज़गार, तथा रोज़गार अधिकारी (केन्द्रीय रोज़गार कक्ष) कार्यरत रहे हैं जो कि रोज़गार शाखा, राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम, अपंगो हेतु विशेष रोज़गार कक्ष, कौशल विकास भत्ता योजना शाखा तथा केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के कार्यों की देखरेख करते हैं।

2. श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण:

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं। श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. श्रम अधिकारी, शिमला	उप-मण्डल शिमला (शहरी एवं ग्रामीण), उप मण्डल चौपाल एवं टियोग तहसील
2. श्रम अधिकारी, रामपुर	रामपुर, रोहडू तथा डोडरा-क्वार उप-मण्डल तथा कुमारसैन तहसील जिला शिमला तथा उप-मण्डल आनी जिला कुल्लू
3. श्रम अधिकारी, सोलन	उप-मण्डल सोलन, कण्डाघाट, अर्की तथा कसौली तहसील (बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)
4. श्रम अधिकारी, बद्दी	तहसील नालागढ़ तथा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला
5. श्रम अधिकारी, नाहन	जिला सिरमौर
6. श्रम अधिकारी, मण्डी	जिला मण्डी
7. श्रम अधिकारी, कुल्लू	जिला कुल्लू, (उप-मण्डल आनी को छोड़कर) उदयपुर तथा केलांग उप-मण्डल
8. श्रम अधिकारी, किन्नौर	जिला किन्नौर व उप मण्डल काजा
9. श्रम अधिकारी, धर्मशाला	जिला कांगडा
10. श्रम अधिकारी, चम्बा	जिला चम्बा
11. श्रम अधिकारी, बिलासपुर	जिला बिलासपुर एवं हमीरपुर
12. श्रम अधिकारी, ऊना	जिला ऊना

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत प्रदेश को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खण्ड का मुख्यालय शिमला में स्थापित है जबकि दूसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है।

(ग) रोज़गार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोज़गार कार्यालय तथा 62 उप-रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, शिमला	कुमारसैन, मशोबरा, टियोग, रामपुर-बुशैहर, रोहडू, जुब्बल, सुन्नी, चौपाल, चिड़गांव, डोडराक्वार तथा कुपवी
2.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, मण्डी	सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, गोहर, पधर तथा नेरचौक
3.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, धर्मशाला	पालमपुर, ज्वाली, नूरपुर, लम्बागांव, नगरोटा-सूरियो, बैजनाथ, इन्दौरा, बडोह, देहरा, फतेहपुर, डाडासीबा, काँगड़ा, ज्वालामुखी तथा नगरोटा-बगवां
4.	जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा एवं सलूणी स्थित सुन्दला
5.	जिला रोज़गार कार्यालय, हमीरपुर	नदौन, भौरंज, बडसर एवं सुजानपुर
6.	जिला रोज़गार कार्यालय, बिलासपुर	घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी
7.	जिला रोज़गार कार्यालय, कुल्लु	बंजार एवं आनी
8.	जिला रोज़गार कार्यालय, सोलन	नालागढ, अर्की,कसौली एवं बद्दी
9.	जिला रोज़गार कार्यालय, नाहन	पांवटा-साहिब, राजगढ़, शिलाई, संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ
10.	जिला रोज़गार कार्यालय, केलोंग	काज़ा एवं उदयपुर
11.	जिला रोज़गार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पीओ	पूह एवं निचार
12.	जिला रोज़गार कार्यालय, ऊना	अम्ब एवं हरोली

13.	सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि० प्र० विश्वविद्यालय, शिमला	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है।
14.	सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र हि० प्र० विश्वविद्यालय, पालमपुर	—यथोपरि —
15.	निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में स्थित	केन्द्रीय रोज़गार कक्ष
16.	निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में स्थित	विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु)

3. वर्ष 2017-2018 में श्रम एवं रोज़गार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरण:

1 नई नियुक्तियां		
1.)	जुनियर आफिस एसीस्टेंट(आई.टी.) अनुबन्ध आधार पर	25
2.)	चपड़ासी दैनिक वेतन भोगी	1
2 पदोन्नतियां		
1.)	अधीक्षक ग्रेड-I	1
2.)	जिला रोज़गार अधिकारी	5
3.)	श्रम अधिकारी	1
4.)	अधीक्षक ग्रेड-II	1
5.)	रोज़गार अधिकारी	2
6.)	श्रम निरीक्षक	1
3	दैनिक वेतन भोगी से नियमित किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	30
4	अनुबन्ध कर्मचारियों से नियमित किये गये कर्मचारी-तृतीय श्रेणी	28
5	लिपिकों से कनिष्ठ सहायक में पदस्थापित किये गये कर्मचारी	10
6 सेवानिवृत्त		
1.)	प्रथम श्रेणी	2
2.)	द्वितीय श्रेणी	5
3.)	तृतीय श्रेणी	5
4.)	चतुर्थ श्रेणी	1

श्रम एवं रोज़गार विभाग में दिनांक 31-3-2018 तक कुल 471 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 130 पद रिक्त है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	खाली पदों की प्रतिशतता
1.	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार (भा.प्र.से.)	1	1	—	
2.	पीठासीन अधिकारी	2	2	—	
3.	संयुक्त श्रमायुक्त	1	1	—	
4.	उप श्रमायुक्त	1	1	—	
5.	उप निदेशक रोज़गार	1	—	1	
6.	उप निदेशक कारखाना	2	1	1	
7.	सहायक निदेशक कारखाना (कैमिकल)	1	—	1	
8.	जिला रोज़गार अधिकारी	13	9	4	
9.	अधीक्षक ग्रेड- I	1	1	—	
11.	श्रम अधिकारी	12	11	1	
11.	रोज़गार अधिकारी	16	10	6	
12.	विधि अधिकारी	1	—	1	
13.	निजि सहायक	1	—	1	
14.	अधीक्षक ग्रेड- II	12	9	3	
15.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	2	—	
16.	वरिष्ठ सहायक	62	34	28	
17.	सांख्यिकीय सहायक	11	3	8	
18.	श्रम निरीक्षक	33	27	6	
19.	प्रोग्राम प्लानिंग आफिसर	1	1	—	
20.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	—	1	
21.	आशुटकक	4	4	—	
22.	चालक	5	5	—	
23.	लिपिक/कनिष्ठ सहायक/जूनियर ऑफिस एसीस्टेंट	154	94	60	
24.	दफ्तरी	4	1	3	
25.	चौकीदार	13	13	—	

26.	चपड़ासी	115	110	5	
27.	फ्राश	1	1	—	
	जोड़	471	341	130	27.60

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अर्न्तगत बनाये जा रहे भवनों का विवरण:

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन 109 कार्यालय कार्यरत हैं।

(क) विभागीय 24 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैं:—

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण शिमला तथा धर्मशाला, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी तथा शिमला, विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो शिमला एवं पालमपुर जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा, तथा रिकांग—पीओ, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्दी तथा रामपुर बुशैहर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुशैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ़, बद्दी, तथा पांवटा साहिब एवं उप रोज़गार कार्यालय रामपुर बुशैहर, नालागढ़, भरमौर, डोडरा—क्वार, काज़ा एवं चिड़गांव, हरोली।

(ख) विभागीय 49 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैं:—

श्रम एवं रोज़गार निदेशालय शिमला, उप—निदेशक कारखाना शिमला, उप—निदेशक कारखाना ऊना, विशेष रोज़गार कक्ष (अपंगों हेतु), केन्द्रीय रोज़गार कक्ष, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय धर्मशाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लु व सोलन, श्रम कार्यालय धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लू व सोलन, एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय, धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लु, अम्ब, सुन्दरनगर, पालमपुर, देहरा, नूरपुर, नाहन, नालागढ़ व सोलन तथा उप—रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा, ज्वाली, राजगढ़, चुवाडी फतेहपुर एवं चौपाल, उदयपुर एवं नालागढ़।

(ग) विभागीय जिला रोज़गार कार्यालय, ऊना को मॉडल कैरियर सैन्टर बनाया गया है।

शेष कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 में विभागीय भवन निर्माण हेतु प्राप्त बजट व खर्च का ब्यौरा :

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	प्राप्त प्राकलन	आबंटित बजट
1.	उप-रोजगार कार्यालय, लम्बागांव जिला कोंगड़ा, हि0 प्र0।	रु0 46,32,700/-	36,00,000/-
2.	उप-रोजगार कार्यालय, सरकाघाट जिला मण्डी (अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु)	रु0 4,99,000/-	4,00,000/-
3.	उप-रोजगार कार्यालय, नादौन जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।	रु0 65,14,300/-	20,00,000/-
4.	उप-रोजगार कार्यालय, नगरोटा-सूरियां जिला कोंगड़ा, हि0 प्र0।	रु0 40,23,500/-	15,00,000/-
	वित्त वर्ष 2017-18 में कुल प्राप्त बजट :- रु0 75,00,000/-		वित्त वर्ष 2017-18 में कुल खर्च बजट :- रु0 75,00,000/-

नोट:-तालिका में अंकित कार्यालय उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में ही सम्मिलित है।

अध्याय-3

जैसा कि इसी वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन के परिचय में वर्णित है विभाग हिमाचल प्रदेश की जनता को तीन स्तरों पर सेवाएं प्रदान करता है।

(1) रोजगार प्राप्ति से पहले सेवाएं

(क) कौशल विकास भत्ता योजना, 2013:-

- स्किल डवेलपमेंट अलाउंस स्कीम 2013 अर्थात कौशल विकास भत्ता योजना को हि0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-श्रम(डी) 1-2/2013 दिनांक 21.5.2013 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा अधिसूचना की तिथि से लागू किया जा रहा है।
- **योजना का उद्देश्य:** कौशल विकास भत्ता योजना का उद्देश्य हि0 प्र0 के पात्र बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ता प्रदान करना है, ताकि युवा अपने कौशल का विकास कर पाये और अपनी रुचि के क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार अर्जित करने हेतु समर्थ हों।

- **कौशल विकास भत्ते की दर:** योजना के अर्न्तगत पात्र हिमाचली आवेदकों को रु0 1000/— प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी विकलांग आवेदकों को रु0 1500/— प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है।
- **कौशल विकास भत्ता हेतु पात्रता शर्तें:** कौशल विकास भत्ता हेतु पात्रता शर्तें निम्न लिखित हैं:
 1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी हो,
 2. बेरोजगार (न सरकारी, न निजी रोजगार, न ही स्वरोजगार) हो,
 3. कम से कम 8वीं पास हो (मिस्ट्री, बढई, लुहार व पलम्बर आदि में प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है),
 4. आयु 16 से लेकर 36 वर्ष से कम,
 5. पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम,
 6. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिये,
 7. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा/रही हो।

● **कौशल विकास भत्ता तथा लाभार्थियों का विवरण:** योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31-03-2018 तक 2,16,254 अभ्यर्थियों को ₹ 194 करोड़ की राशि कौशल विकास भत्ते के रूप में विभाग द्वारा वितरित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान दिए गए भत्ते तथा लाभार्थियों की संख्या बारे विवरण:

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि ₹ में
2013-14	42,077	13,96,48,500
2014-15	52,815 (21,126 ऐसे लाभार्थी हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष से जारी कर रहे हैं और 31,689 आवेदक इस वित्तीय वर्ष में इनरोल किए गए।)	28,69,15,854
2015-16	67,753 (जिनमें कि 27,221 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 40,532 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	40,00,74,500

2016-17	80,606 (जिनमें कि 28,729 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 51,877 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	53,68,09,731
2017-18	90,428 (जिनमें कि 40,349 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षों से जारी कर रहे हैं तथा 50,079 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	58,46,26,000
कुल	2,16,254	1,94,80,74,585

- योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31-03-2018 तक जिलाबार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल लाभार्थी	वितरित भत्ता राशि ₹ में
1	कांगड़ा	57722	539566500
2	मण्डी	28983	237740500
3	सिरमौर	23155	196515500
4	ऊना	19334	190983354
5	हमीरपुर	18617	173019500
6	कुल्लू	15756	142777000
7	बिलासपुर	13881	116931500
8	चम्बा	12628	115496500
9	शिमला	12912	113680631
10	सेलन	12044	108777600
11	किन्नौर	947	9723500
12	लाहौल स्पिति	275	2862500
	कुल	2,16,254	1,94,80,74,585

- **कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षण:** कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षणों बारे गाईडलाईन्ज/सूची तैयार की गई। इन गाईडलाईन्ज को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जो कि विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है। इन गाईडलाईन्ज अनुसार **कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षण मुख्यतः**
 - (1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटैक्नीकल कॉलेजों द्वारा दिए जा रहे डिप्लोमा प्रशिक्षण व सर्टिफिकेट कोर्स, एन0एस0क्यू0एफ0 (NSQF), एन0सी0वी0टी0 (NCVT) एस0सी0वी0टी0 (SCVT) तथा सरकार द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रशिक्षण व कोर्स।
 - (2) राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन कौंसिल से मान्यता प्राप्त होटल प्रबन्धन व होस्पीटीलिटी में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्रशिक्षण व कोर्स,
 - (3) कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा करवाए जा रहे डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण, सरकार व इसके निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर के निजी क्षेत्र के संस्थान जिनमें कि राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (NIIT), एप्टेक (Aptech), जेटकिंग (Jetking), ए0आई0एस0ई0सी0टी0 (AISECT), हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स समिति (HCL) शामिल हैं द्वारा कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी में करवाए जा रहे डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रशिक्षणों के अतिरिक्त,
 - (4) जिला स्तरीय समितियों द्वारा प्राधिकृत संस्थानों के मुख्यतः कटिंग टेलरिंग, ब्यूटीशियन, कढ़ाई बुनाई, फैशन डिजाइनिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, मोबाईल रिपैयर, चम्बा रुमाल ईम्ब्रोयडरी, मूर्ति कला, बैम्बू आर्टिकल, इलैक्ट्रीशियन, हैन्डलूम, शोर्ट हैन्ड टाइपिंग आदि में दिए जा रहे प्रशिक्षण जो कि युवाओं को स्वयं रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक हैं, योजना के अन्तर्गत मान्य है।
 - (5) नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार की अधिक सम्भावनाओं के अनुरूप नर्सिंग में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्रशिक्षण के अलावा बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं नर्सिंग में अन्य स्नातक प्रशिक्षणों जो सरकारी व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से किया जा रहा हो को भी योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2015 से शामिल किया गया है।
 - (6) इसके अतिरिक्त हि0 प्र0 सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के चुनिन्दा महाविद्यालयों द्वारा **B. Voc. Education (Retail Management and Tourism & Hospitality)** को भी फरवरी, 2017 से योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

इस समय लगभग 1100 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों/निकायों (सरकारी संस्थाओं तथा सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थान जिन्हें कि जिला स्तरीय समितियों द्वारा इम्पैनल किया गया है) द्वारा करवाए जा रहे डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मान्य है। प्रशिक्षण संस्थानों/निकायों बारे सूचना भी विभागीय वैबसाईट पर भी उपलब्ध है।

कौशल विकास भत्ते का भुगतान: कौशल विकास भत्ते का भुगतान विभाग द्वारा पात्र प्रशिक्षणार्थियों को सीधा उनके बैंक खातों में **RTGS (Real Time Gross Settlement System)** के माध्यम से अदा किया जाता है।

(ख) युवाओं के व्यावसायिक तथा जीविका मार्गदर्शन के लिये आदर्श आजीविका केन्द्र (Model Career Centers) की स्थापना :-

सरकार व विभाग की प्राथमिकताओं में युवाओं को आदर्श आजीविका परामर्श/मार्गदर्शन सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान भी हैं, ताकि उन्हें अपनी पसन्द का रोजगार प्राप्त करने

में सक्षम बनाया जा सके। इस आशय से जिला स्तर के रोजगार कार्यालयों को भी क्रमबद्ध तरीके से आदर्श आजीविका केन्द्रों (Model Career Centers) में, भारत सरकार तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, परिवर्तित करने बारे प्रक्रिया चल रही है।

जिला रोजगार कार्यालय ऊना को आदर्श आजीविका केन्द्र में परिवर्तित किया जा चुका है तथा अन्य जिला रोजगार कार्यालयों तथा उप रोजगार कार्यालय बद्दी को आदर्श आजीविका केन्द्र में एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा भारत सरकार की सहायता से क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जा रहा है/किया जाना प्रस्तावित है।

रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण जैसी परियोजना हिमाचल में पहली बार शुरू हो रही है। यह आदर्श आजीविका केन्द्र, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में आजीविका मार्गदर्शन की सेवाएं प्रदान करेंगे।

रोजगार कार्यालय ऊना तथा शिमला में Young Professionals को भी नियुक्त किया जा चुका है जो इन जिलों के बेरोजगार युवाओं को आदर्श आजीविका परामर्श/मार्गदर्शन की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(2) व्यावसायिक मार्गदर्शन संगठन तथा रोजगार परामर्श:—

श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र है तथा शेष तीन केन्द्र क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के सन्दर्भ में आवेदकों का पंजीकरण व उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या: श्रम (एम्प) 16/6/93-1, दिनांक: 31-1-2006 द्वारा जिला स्तर पर सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना उपायुक्त की अध्यक्षता में की है। जिसका कार्य आवेदकों को राज्य के सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार व स्व-रोजगार सहायता प्रदान करना है। प्रदेश के प्रतिष्ठानों व शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्पों का आयोजन किया जाता है। 1-4-2017 से 31-3-2018 तक इन व्यावसायिक केन्द्रों तथा अधीनस्थ रोजगार कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गये:—

वर्ष 2017-18 में विभाग को व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिये ₹3,00,000.00 का बजट आबंटित किया गया तथा इस वित्त वर्ष में 269 व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्प आयोजित किये गये। (जिला रोजगार अधिकारियों द्वारा 221 तथा उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, अनु0 जाति/अनु0 जन जाति हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र मण्डी द्वारा 48)। केन्द्र सरकार के सहयोग से जिला मुख्यालय मण्डी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के युवाओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें हिन्दी व अंग्रेजी में टंकण, आशुलिपि तथा कम्प्यूटर में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में 150 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। स्टेशनरी छपवाने के लिये ₹ 2,36,000.00 का बजट प्रावधान रखा गया था। जिस से 1,80,000 फार्म, 2,00,000 X-1 व 50,000 X-10 तथा कार्यालय में प्रयोग होने वाले अन्य फार्म छपवाये गये और पूरे बजट को व्यय किया गया।

2 रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये सेवाएं

(क) रोजगार शाखा:—

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 62 उप-रोजगार कार्यालय कार्यरत

हैं। ये रोजगार कार्यालय अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फौरन इम्प्लायमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो का निदेशालय श्रम एवं रोजगार में गठन किया है ताकि विदेश जाने के इच्छुक कामगारों का प्राईवेट एजेन्टों से होने वाले शोषण से उन्हें बचाया जा सके।

1-4-2017 से 31-3-2018 तक विभाग द्वारा की गई उपलब्धियाँ:

क्र.सं.	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्रियॉ	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन		सजीव पंजीका (पंजीकृत आवेदकों की संख्या)	नियोजित आवेदक
					सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र		
1	बिलासपुर	14634	3300	4035	4	199	53664	203
2	चम्बा	14627	7	2138	57	246	56193	303
3	हमीरपुर	18189	101	6914	95	92	66645	187
4	काँगड़ा	39208	88	21243	680	510	188440	1190
5	किन्नौर	2615	0	413	0	0	9360	0
6	कुल्लू	9576	0	2588	11	174	46390	185
7	लाहौल स्पिति	1433	5	289	1	0	4633	1
8	मण्डी	38526	80	5463	116	309	148037	425
9	शिमला	18795	2003	5825	326	137	81185	463
10	सिरमौर	14893	679	4327	14	23	56891	37
11	सोलन	13940	1621	5906	45	408	59355	453
12	ऊना	20228	259	13171	184	510	63291	694
	दिव्यांग आवेदक	(2537)	319	1329	63	0	(17596)	63
	जॉव फेयर	0	0	0	0	1093	0	1093
	जोड़	2,06,664	8462	73641	1596	3701	834084	5297

शिक्षावार विभाजन

स्नातकोत्तर	73077
स्नातक	132186
दसवीं व ऊपर स्नातक से कम	586453
दसवीं से कम पढ़े लिखे	40819
अनपढ़	1549
कुल योग	834084

जातिवार विभाजन

अनुसूचित जाति	201262
अनुसूचित जनजाति	47901
ओ.बी.सी.	101440
अन्य	483481
कुल योग	834084

स्त्री/पुरुष विभाजन

पुरुष	476666
स्त्री	357418
कुल योग	834084

शहरी ग्रामीण विभाजन

शहरी	217600
ग्रामीण	616484
कुल योग	834084

बेरोजगारी भत्ता योजना-2017 (1-4-2017 से 31-3-2018) तक

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना माह अप्रैल, 2017 में अधिसूचित कर दी थी तथा माननीय मुख्यमंत्री हि0 प्र0 ने 15-4-2017 को इसका शुभारम्भ चम्बा में कर दिया था। इस योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति (कम से कम 50 प्रतिशत स्थाई विकलांगता) के लिए ₹ 1500/- (रु0 एक हजार पांच सौ) प्रतिमाह की दर से तथा अन्य सभी श्रेणियों के आवेदकों को ₹ 1000/- (रु0 एक हजार) प्रतिमाह की दर से कुल 2 वर्ष की अवधि हेतु भत्ता देय है। इस योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार से हैं-

इस योजना के दृष्टिगत वे सभी शिक्षित बेरोजगार आवेदक बेरोजगारी भत्ता के पात्र होंगे, जो निम्नलिखित मानदंड पूर्ण करते हो:

- (क) आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् न सार्वजनिक, न निजी क्षेत्र और न ही स्वरोजगार में हो) और हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- (ख) आवेदक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता बोर्ड से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
- (ग) आवेदन करने की तिथि को एक वर्ष पहले से आवेदक हिमाचल प्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
- (घ) आवेदन करने की तिथि से ठीक पूर्व के वित्त वर्ष में सभी स्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय ₹ 2.00 लाख (दो लाख) से कम होनी चाहिए, इसमें उसके पति/पत्नि की आय भी शामिल है।
- (ङ) आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- (च) आवेदक सरकार का बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- (छ) आवेदक किसी ऐसे अपराध में दण्डित न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।
- (ज) आवेदक किसी कोर्स का नियमित छात्र नहीं होना चाहिए।
- (झ) आवेदक कौशल विकास भत्ता प्राप्त न कर रहा हो।

योजना की पूरी जानकारी विभागीय वैबसाइट <http://admis.hp.nic.in/unemp> पर उपलब्ध है तथा पात्र युवा भत्ता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने उपरान्त आवेदन प्रपत्र और स्व प्रमाणित घोषणा (Self Certified Declaration) प्रपत्र का प्रिंट लेकर तथा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करके सम्बन्धित रोजगार कार्यालय जहां पर आवेदक का नाम दर्ज है जमा करवाये।

क्र० स०	जिला	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (रूपये में)
1	मण्डी	3727	28457000
2	काँगड़ा	3857	24970500
3	ऊना	3374	24376500
4	शिमला	2828	20293500
5	कुल्लू	2083	18598500
6	सिरमौर	2567	17314500
7	बिलासपुर	1871	13516500
8	चम्बा	1629	11902500
9	हमीरपुर	1037	6818000
10	सोलन	754	4964000

11	किन्नौर	257	2004000
12	लाहौल स्पिति	145	840500
	जोड़	24129	174056000

(ख) श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में स्थापित विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु), द्वारा वर्ष 2017-18 में किये गये कार्यकलापों का विवरण:-

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष, 1976 में विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएँ/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, सरकारी नौकरियों में उपरी आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 4 प्रतिशत का आरक्षण आरक्षित व्यक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अपंग तथा उसके अनुरक्षकों को यात्रा-भत्ता देने का प्रावधान, केवल महिलाओं के लिए खोले गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (गर्ल्स आईटीआई) सिलाई व कढ़ाई केन्द्र टेलरिंग सेंटर में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा 200 रोस्टर प्वाइंट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला 30वां, 73वां, 101वां, 130वां व 173वां है। क्रमशः दृष्टिदोष अपंग, श्रवण एवं वाक अपंग तथा अस्थि अपंग व्यक्तियों के लिये किया जाता है। व्यक्ति जिनमें अक्षमतायें हैं, अधिनियम, 1995 के तहत नियोक्ताओं के अभिलेख, रोस्टर प्वाइंट को चैक करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1-4-2017 से 31-03-2018 तक 2537 अपंग व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया जिसके साथ सक्रिय रजिस्टर पर रोज़गार सहायता प्राप्त करने के हेतु अपंग आवेदकों की संख्या 17,596 हो गई है।

63 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है। 319 आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित हुई हैं जिसके प्रति 1329 अपंग प्रत्याशियों के नाम सम्प्रेषित किये गये हैं।

विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु), द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 में किये गये कार्यकलापों का विवरण

क्र०सं०	पंजीकरण	अधिसूचित आरक्षित रिक्तियाँ	नियुक्तियों के विरुद्ध सम्प्रेषण	सेवा नियोजन	सजीव पंजीका
1	2537	319	1329	63	17,596

(ग) केन्द्रीय रोज़गार कक्ष की गतिविधियाँ:-

दिनांक 01-04-2017 से 31-03-2018 तक केन्द्रीय रोज़गार कक्ष द्वारा किये कार्य का लेखा जोखा:-

हिमाचल प्रदेश के इच्छुक युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने की कड़ी में केन्द्रीय रोज़गार कक्ष ने वर्ष, 2017-18 में अपने कार्यों को विस्तार देने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन-शक्ति की मांग को पूरा करने के प्रयास किये गये।

हिमाचल प्रदेश के दूर दराज श्रेत्रों में स्थित रोज़गार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू (एक नियोक्ता के लिए) करवाये गये ताकि निजि श्रेत्र में कामगारों की मांग को पूरा किया जा सकें। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित से है:-

वर्ष	कैम्पस इन्टरव्यू	सेवा नियोजन
2017-18	180	2694

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में रोज़गार मेलों (एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए) का आयोजन किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है।

वर्ष	रोज़गार मेलों की संख्या	सेवा नियोजन
2017-18	02	1093

हिमाचल प्रदेश में स्थापित उद्योगों तथा हाईड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्टों में हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोज़गार की मोनटरिंग: विभाग के क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी/जिला रोज़गार अधिकारी/श्रम अधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि वे अपनी सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोज़गार के विषय को भी देखेंगे। जिन उद्योगों तथा जल-विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत से कम हिमाचलियों को रोज़गार दिया गया है उनकी सूचना उद्योग विभाग तथा एम0पी0पी0 एण्ड पावर विभाग को भेजी जाती है। अभी तक 184 उद्योगों तथा 24 जल विद्युत परियोजनाओं, जिनमें 70 प्रतिशत से कम हिमाचलियों को रोज़गार दिया गया है की सूचना उद्योग विभाग तथा एम0पी0पी0 एण्ड पावर विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई है।

(घ) रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम:-

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत रोज़गार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के रोज़गार से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से एकत्रित करते हैं। रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश में जिला स्तर पर रोज़गार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र को ही व्यक्त करता है। जो कि अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजि क्षेत्रों के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं, उनसे यह सूचना एकत्रित की जाती है। रोज़गार के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और निजि क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 25 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है, और जो कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हो, से आंकड़े रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अर्न्तगत नियम, 1960 के तहत एकत्रित किये जाते हैं। रोज़गार के आंकड़े, निजि क्षेत्र के छोटे प्रतिष्ठानों, जिसके पास 10 से 24 कर्मचारी कार्यरत है, से स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। इस विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है, कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजि क्षेत्र की ईकाईयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो। रोज़गार कार्यालय द्वारा निजि क्षेत्र की विशेषकर नई ईकाईयों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है, व उन्हें रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अर्न्तगत अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के कुल 229 निरीक्षण किए गए हैं।

निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल निरीक्षण
142	87	229

रोजगार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार की स्थिति का विश्लेषण विभाग द्वारा समय-समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिष्ठानों की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त मार्च / 16	4232	1719	283751	161428
त्रैमासान्त मार्च / 17	4240	1726	278623	166275

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त मार्च, 2017 में नियोक्ताओं की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध-सरकारी केन्द्रीय		अर्ध-सरकारी राज्य		स्थानीय नियोक्ता	
	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
मार्च / 16	124	11118	2773	206277	761	19694	511	43125	63	3537
मार्च / 17	124	11138	2778	200627	762	19113	513	44222	63	3523

निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च 2017 में नियोक्ताओं की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान		लघु संस्थान	
	25 या अधिक कर्मचारी वाले संस्थान		10 से 24 कर्मचारियों वाले संस्थान	
	प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमानित रोजगार
त्रैमासान्त मार्च / 16	1119	151920	600	9538
त्रैमासान्त मार्च / 17	1127	156169	599	10106

सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च, 2017 में औद्योगिक वर्गीकरण में संस्थानों की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

क्र० सं०	व्यवसाय	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
		संस्थानों की संख्या	अनुमानित रोजगार	संस्थानों की संख्या	अनुमानित रोजगार
1.	कृषि, शिकार, वानिकी, मत्स्य शिकार एवं पशु व्यवसाय	164	16444	12	521
2.	खनिज एवं खाद्य	5	83	1	53
3.	उत्पादन	46	1577	1082	131640
4.	विद्युत, गैस एवं जल	165	30147	55	6487
5.	निर्माण	141	35063	17	2134
6.	थोक, व्यक्तिगत एवं घर-गृहस्थी सामान एवं परचून व्यापार	27	746	39	2065
7.	यातायात एवं भण्डार	45	12220	9	443
8.	होटल एवं रेस्तरां	13	599	128	4014
9.	सूचना एवं संचार	25	6021	19	1792
10.	वित्तीय बीमा	894	16116	26	694
11.	असली सम्पदा, व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यक्लाप	129	8134	1	17
12.	लोक प्रशासन, रक्षा, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याएँ	649	47979	1	35
13.	शिक्षा	1684	79554	316	14720
14.	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	208	23347	20	1660
15.	कला, मनोरंजन, अन्य सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवायें	45	593	0	0
	कुल	4240	278623	1726	166275

वर्ष 2016-17 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोज़गार के त्वरित अनुमान।

विवरण-1

त्रैमासान्त मार्च 2017 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर, 2016 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	
278623	166275	444898	443588

विवरण-2

औसत महिला रोज़गार

त्रैमासान्त मार्च 2017 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर, 2016 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	
67362	27315	94677	94493

विवरण-3

कुल औसत तुलनात्मक रोज़गार

त्रैमासान्त मार्च, 2017 को कुल रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिशत परिवर्तन
त्रैमासान्त 31-03-2016 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त 31-03-2017 को कुल रोज़गार	
445209	444898	-0.06

विवरण-4

औसत तुलनात्मक महिला रोज़गार

त्रैमासान्त मार्च, 2017 को कुल रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिशत परिवर्तन
त्रैमासान्त 31-03-2016 को कुल महिला रोज़गार	त्रैमासान्त 31-03-2017 को महिला रोज़गार	
93810	94677	0.92

3. रोज़गार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं

श्रम कानूनों जिनकी संख्या 28 (केन्द्रीय एवं राज्य) है, के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कारखानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना:—यह सेवाएं श्रम विभाग के श्रम खण्ड के माध्यम से प्रदान की जाती है।

अध्याय-4

श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की सुविधा के लिये दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोज़गार खण्ड में रोज़गार कार्यालयों की गतिविधियां है, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

श्रम खण्ड

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य, 26 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों को प्रदेश में लागू करना है। इन श्रम कानूनों में कारखानों, विभिन्न संस्थानों एवं विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के विस्तृत रूप में प्रावधान किये गये हैं। इन कारखानों/संस्थानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, गुणवत्ता, उत्पादकता को सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में विकास/उन्नति सुनिश्चित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। कामगारों को सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, बाल श्रमिक एवं बन्धुआ मज़दूरी पर रोक लगे, इस सम्बन्ध में भी प्रावधान है। इन सबको सुनिश्चित करने के लिये श्रम विभाग के अधिकारी एवं निरीक्षक समय समय पर निरीक्षण करते हैं, अवहेलना करने वालों के विरुद्ध

सक्षम न्यायालयों में अभियोग चलाये जाते हैं। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये कामगारों एवं संस्थान मालिकों/प्रबन्धकों के मध्य हस्तक्षेप करते हैं एवं उचित परामर्श देते हैं तथा जो भी शिकायतें विभिन्न स्तर पर प्राप्त होती हैं उनका निवारण भी करते हैं। श्रम खण्ड में ही कारखाना शाखा भी है जिसके द्वारा कारखाना अधिनियम,1948 एवं उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के अर्न्तगत कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण और कामगारों की सुरक्षा, दुर्घटनायें रोकने और उनकी सेवा शर्तों का कार्यान्वयन, सुनिश्चित किया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है, जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अर्न्तगत समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी (परियोजना) रामपुर बुशैहर और श्रम अधिकारी बद्दी को भी अपने-अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं वहां पर जिला रोजगार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी समझौता अधिकारी के रूप में औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप-श्रमायुक्त/संयुक्त-श्रमायुक्त और श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को निपटाने में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अर्न्तगत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार कार्यरत हों, उन संस्थानों द्वारा वर्कस कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। ये वर्कस कमेटियाँ भी औद्योगिक शान्ति बनाने में सहायक सिद्ध होती है। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वर्ष 2017-2018 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है।

31.3.2018 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे प्रस्तावित कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	5014	3,34,072
2.	मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	126	7,345
3.	ट्रेड यूनियनज अधिनियम,1926	1,358	15,883
4.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	14	122
5.	अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम,1979		
	(क) प्रमुख नियोक्ता	37	7,947
	(ख) ठेकेदार	79	2,713

6.	श्रम टेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (क) प्रमुख नियोक्ता	1,589	1,79,066
	(ख) टेकेदार	6,982	3,45,441
7.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	11,346	13,31,126
8.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948	7,500	2,45,000

नोट:- क्रम संख्या 7 व 8 के ऑकड़े 31-3-2017 तक के ही उपलब्ध हैं।

सांख्यिकीय विवरण

श्रम खण्ड की वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की उपलब्धियों/कार्यों का ब्यौरा नीचे दी गई तालिकाओं पर वर्णित है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किए निरीक्षणों, सक्षम न्यायालयों में दायर अभियोगों की संख्या, न्यायालय द्वारा निर्णित अभियोगों की संख्या एवं दण्डित किये जाने पर जुर्माने की राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

तालिका-1

क्रमांक	अधिनियम का नाम	1.4.2017 से 31.3.2018 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या	1.4.2017 से 31.3.2018 तक न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	1.4.2017 से 31.3.2018 तक न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि (रुपये)
1	कारखाना अधिनियम, 1948	1101	110	69	1102000
2	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	8606	1169	841	1472515
3	प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961	600	6	3	5000
4	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	4712	385	353	469000
5	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	4585	448	385	957800
6	बागान श्रम अधिनियम, 1951	3	0	0	0
7	श्रम टेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	1159	110	63	66100
8	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	1056	4	7	23000
9	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	1348	140	77	727000

10	औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946				
		486	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय त्यौहार के अवकाश आकस्मिक एवं चिकित्सा अवकाश) अधिनियम,1969				
		1188	4	5	1050
12	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज़ अधिनियम,1961				
		168	7	2	2000
13	अन्तरराज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम,1979				
		245	3	3	4500
14	बाल श्रमिक (निषेद्ध एवं विनियम) अधिनियम,1986				
		3859	8	6	93000
15	समान वेतन अधिनियम, 1976				
		717	4	2	5000
16	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों(रेगुलेशन ऑफ एम्पलायमेंट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) अधिनियम,1996				
		706	13	13	43000
17	श्रमजीवी और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विविध प्रावधान अधिनियम,1955				
		1	1	1	200
	कुल	30540	2412	1830	4971165

तालिका-2
उपादान अदायगी अधिनियम,1972

क्रमांक	31.3.17 तक के पिछले अनिर्णित मामले	01.04.2017 से 31.03. 2018 तक प्राप्त मामले	कुल मामलों की संख्या (खाना संख्या 3 एवं 4)	31.3.18 तक निर्णित मामलों की संख्या	31.3.2018 तक अनिर्णित मामलों की संख्या
1.	2	3	4	5	6
(क) नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निपटाए गए मामलें	121	140	261	129	132
(ख) एपीलैट अथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्यौरा	16	46	62	14	48

तालिका-3
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

क्रमांक	31.3.2017 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1.4.2017 से 31.3.2018 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	कुल मांग पत्रों की संख्या खाणा संख्या (2 एवं 3)	समझौते के दौरान धारा 12(3) के तहत निपटाये गये मामले	असफल मामलों की संख्या जो 12(4) के अधीन भेजे गये	31.3.2018 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
	810	511	1321	478	345	498

तालिका-4
औद्योगिक रोज़गार (स्टैंडिंग आर्डरज़) अधिनियम, 1946

क्रमांक	अधिनियम के अर्न्तगत आने वाले संस्थान	स्टैंडिंग आर्डरज़ जिनको 31.03.2018 तक प्रमाणित करवा लिया गया है।
1	2447	338

तालिका-5
हि0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969

क्रमांक	अधिनियम के अधीन बाजारों की संख्या	31.3.2018 के अन्त में दुकानों की संख्या	प्रस्तावित कामगारों की संख्या	31.3.18 के अन्त में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	31.3.2018 तक प्रस्तावित कामगारों की संख्या	31.3.2018 तक कुल संस्थानों की संख्या	31.03.2018 के कुल प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1	121	66189	35337	21374	27045	87563	62382

तालिका-6
निम्न अधिनियमों में प्राप्त शिकायतें

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2017 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1.4.2017 से 31.3.18 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग (खाणा संख्या 3 एवं 4)	श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा भुगतान करवाई गई धनराशि (रू0) में	लाभान्वित कामगारों की संख्या	31.3.2018 को अनिर्णित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वेतन भुगतान अधिनियम,	530	1140	1670	1055	48715378	1308	615

	1936							
2.	हि० प्र० दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	2	0	0	2	0	0	0
3.	हि० प्र० लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	4	12	16	5	1090396	35	11
4		0	44	44	41	0	0	3

तालिका-7
कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत दिनांक 1.4.2017 से 31.3.2018
तक किये गये कार्य का विवरण

31.3.2017 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	1.4.2017 से 31.3.2018 तक पंजीकृत नये कारखानों की संख्या	31.3.2018 को कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या	31.3.2018 को कुल पंजीकृत कारखानों में प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	2.	3.	4.
4913	39	4952	326382

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्न्तगत निदेशालय स्तर पर 31.3.2017 को 710 विवाद सन्दर्भ हेतु लम्बित थे। वित्त वर्ष 2017-18 (01.04.2017 से 31.03.2018) के दौरान 471 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12(4) के अर्न्तगत निदेशालय में प्राप्त हुये, अतः कुल विवाद 1039 हो गये। इस वित्त वर्ष (01.04.2017 से 31.03.2018) के दौरान 328 मामले विभिन्न श्रम न्यायालयों को निर्णय हेतु भेजे गये तथा उक्त अधिनियम की धारा 12(5) के अर्न्तगत 481 निरस्त किये गये, तथा 31.3.2018 को 230 मामले शेष हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिन औद्योगिक विवादों को श्रम न्यायालयों को निर्णय हेतु नहीं भेजा गया था उनमें से 21 औद्योगिक विवादों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्याय निर्णय हेतु भेजा गया।

भाग-1									
क्र० स०	अधिनियम का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में संस्थानों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत संस्थानों की संख्या	पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रूपये में)	वर्ष के दौरान नवीनीकृत संस्थानों की संख्या (यदि कोई हो)	लाइसेंस/ नवीनीकरण शुल्क एकत्रित (रूपये में)	अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर एकत्रित जुर्माना (रूपये में)	वर्ष के अन्त में पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कुल राशि एकत्रित (रूपये में) (कालम 3+ कालम 5+ कालम 6)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	कारखाना अधिनियम, 1948	11	0	0	0	0	397000	13	397000
2	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1969	72630	1997	1911977	1869	1463434	1373265	68853	4748676
3	श्रम टेका(विनियम एवं उन्नमूलन अधिनियम, 1970	2718	171	95839	1041	234897	46600	2969	377336
4	मोटर ट्रांसपोर्ट वकैरज अधिनियम,1961	3	0	0	2	2000	1500	2	3500
5	अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	71	2	80	7	650	500	32	1230
6	ट्रेड युनियन अधिनियम,1926	3	0	10	0	0	0	0	10
7	बगान श्रम अधिनियम, 1951	0	0	0	0	0	0	0	0
8	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेशन ऑफ एम्पलायमेंट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	1179	67	112985	130	14050	40500	1246	167535
	योग भाग-1	76615	2237	2120891	3049	1715031	1859365	73115	5695287

भाग-2		
क्र० स०	अधिनियम का नाम	आय/जुर्माना अर्जित
1.	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	537800
2.	वेतन भुगतान अधिनियम,1936	1081000
3.	बोनस भुगतान अधिनियम,1965	3000
4.	उपादान भुगतान अधिनियम,1972	552000
5.	औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946	0
6.	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय त्यौहार के अवकाश आकस्मिक एवं चिकित्सा अवकाश) अधिनियम,1969	25850
7.	बाल श्रमिक (निषेध एवं विनियम) अतिधिनियम3,1986	73000
8.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेशन ऑफ एम्पलायमेंट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	39800
9.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार सैस अधिनियम,1996	673147
10.	प्रसूति लाभ अधिनियम,1961	119575052
11.	श्रमजीवी और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्त) विविध प्रावधान अधिनियम,1955	0
12.	औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947	0
13.	समान वेतन अधिनियम,1976	5000
	योग भाग-2	122565649

भाग-3		
क्र० स०	अधिनियम का नाम	राशि (रूपये में)
1.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के तहत एकत्रित सैस	283250599
	योग भाग-3	283250599
	योग भाग-(1 का कॉलम-8)	5695287
	योग भाग-2 (भाग-2 का कॉलम-2)	122630649
	विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत अर्जित कुल आय	411576535

नोट:- उक्त सूचना में श्रम अधिकारी बददी व श्रम अधिकारी सोलन के ऑकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित बोर्ड और समितियों का समय-समय पर गठन किया जाता है:-

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड / समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/पुनः निर्धारण बारे में सरकार को परामर्श देना।
2	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/पुनः निर्धारण बारे में सरकार को परामर्श देना।
3	श्रम टेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	राज्य सलाहकार श्रम टेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्धति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, और जहाँ रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनियम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सरकार को देना।
4	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सर्तकता समितियां	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन/पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही।
5	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेशन ऑफ एम्प्लायमैन्ट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	राज्य स्तरीय बोर्ड	हि० प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों के कल्याण के लिये हि० प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड का गठन किया गया है।
6	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेशन ऑफ एम्प्लायमैन्ट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 1996	राज्य स्तरीय समिति	इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है जो समय-समय पर राज्य सरकार को परामर्श देगी।

न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुनः निर्धारण, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड एवं न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का पुर्नगठन करती रही है। इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 19 अधिसूचित व्यवसायों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वित्तीय वर्ष 2017-18 में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के परामर्श के पश्चात इन समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर ₹ 210/- प्रतिदिन या ₹ 6300/- प्रतिमाह प्रथम अप्रैल, 2016 से निर्धारित किया है, जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से 20 रूपए अधिक है। अर्ध कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों के वेतन में भी 20 रूपए प्रतिदिन की दर से बढ़ोतरी की गई है जो कि 01.04.2017 से लागू है, जिन अनुसूचित व्यवसायों में बढ़ोतरी की है वे निम्न प्रकार से हैं:-

1. कृषि।
2. सड़क और भवन निर्माण पत्थर पिसाई/क्रशिंग/पत्थर तुड़ान।
3. फौरेस्टरी एवं टिम्बरिंग आप्रेशन।
4. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट।
5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय।
6. रसायन और रसायन उत्पाद।
7. इन्जीनियरिंग उद्योग।
8. चाय बागान।
9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड (क) में परिभाषित।
10. होटल/रेस्तरां
11. निजि शैक्षणिक संस्थान।
12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं।
13. फार्मास्यूटिकल उद्योग।
14. अस्पताल, नर्सिंग होम एवं क्लीनिक।
15. घरेलू कामगार।
16. सफाई कर्मचारी नियोजन।
17. सुरक्षा सेवाएं।
18. मंदिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं।
19. टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कामगार।

1. इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों को मजदूरी की न्यूनतम वेतन की दरों पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है।
2. हिमाचल प्रदेश के गैर जन-जातीय क्षेत्रों में 'निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं' में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है।
3. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है अगर निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाएं/जन जातीय क्षेत्र

में है तो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी देय है।

4. महिला-पुरुष कामगारों को समान कार्य के लिये (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त सभी अनुसूचित व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोजगार अधिकारियों को तथा सांख्यिकीय सहायक (श्रम) को भी "निरीक्षक" नियुक्त किया है। यदि निरीक्षक स्तर पर न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान सम्बन्धी शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं होता है तो सरकार ने अपने-अपने क्षेत्रों में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेटों)/सिविल न्यायाधीशों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत सुनवाई करने और निर्णय करने के लिये प्राधिकारी नियुक्त किया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावों का निपटारा कर सकें।

कामगारों को समय-समय पर देय वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अपने अपने क्षेत्रों में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेटों)/सिविल न्यायाधीशों को वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अर्न्तगत प्राधिकारी नियुक्त किया है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित कामगार अपनी शिकायत दायर करके निपटारा करवा सकते हैं।

बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजना बनाना

बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजना बनाई गई है। बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अर्न्तगत सभी जिला तथा उप मण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूरी से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने के लिये सर्तकता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में इस वर्ष बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है।

बाल श्रमिकों का उन्मूलन कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन के लिये प्रदेश के 10 अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत निरीक्षक की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1	2	3
1.	समस्त उप-मण्डल अधिकारी, हि0प्र0	राजस्व
2.	आयुक्त, नगर निगम, शिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि0प्र0	आर.डी. व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, हि0प्र0	राजस्व
5.	समस्त महा-प्रबन्धक/प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि0प्र0	उद्योग
6.	समस्त श्रम अधिकारी, हि0प्र0	श्रम एवं रोजगार

7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी, हि0प्र0	—उक्त—
8.	समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत हि0प्र0	स्थानीय निकाय
9.	समस्त हैड कॉस्टेबल एवं उससे उपर के पुलिस अधिकारी, हि0प्र0	पुलिस
10.	समस्त जिला/तहसील कल्याण अधिकारी, हि0प्र0	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
11.	समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, हि0प्र0	—उक्त—
12.	समस्त बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, हि0प्र0	—उक्त—
13.	समस्त पंचायत निरीक्षक, हि0प्र0	आर.डी. व पंचायती राज
14.	समस्त जिला/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी, हि0प्र0	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला/सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एवं तोल निरीक्षक, हि0प्र0	माप एवं तोल
18.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, हि0प्र0	आबकारी एवं कराधान

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,

1996:—

भवन व अन्य सन्निर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार ने राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अर्न्तगत हि0प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक 4-12-2008 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा-18 के अर्न्तगत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के कल्याण हेतु हि0 प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 5-3-2009 को किया गया है। यह बोर्ड भवन व निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पैन्शन सुविधा, प्रसूति लाभ, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम राशि, अपंगता पैन्शन, औज़ार खरीदने हेतु ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता, मृत्यु प्रसुविधा लाभ, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, शादी हेतु वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैन्शन एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के लिये पारगमन आवास सुविधा और महिला कामगार लाभार्थियों के लिये साईकल प्रदान करना, वार्शिंग मशीन, सोलर लैम्प, इन्डक्शन हीटर और लाभार्थी के स्वयं, पति/पत्नी और दो बच्चों तक कौशल विकास भत्ता इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के अर्न्तगत लाभ प्रदान करता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और उसके अर्न्तगत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार जो भी भवन व अन्य सन्निर्माण सम्बन्धित कार्य होंगे उनके कुल व्यय का 1 प्रतिशत उपकर उपरोक्त कल्याण बोर्ड में जमा होगा तथा इस कल्याण निधि से उपरोक्त लाभकारी योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाता है। प्रत्येक कामगार जिसने पूर्व 12 मास के दौरान 90 दिन या अधिक दिनों तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य किया हो वह बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं और जिस कामगार ने पिछले 12 मास के दौरान 90 दिन या उससे अधिक मनरेगा में कार्य किया हो वह भी बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

कामगारों को पहचान-पत्र प्रदान करना

श्रम विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी औद्योगिक ईकाईयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों व ठेका श्रमिकों को कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक पहचान-पत्र कामगारों को जारी कर रहे हैं जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। पहचान पत्रों को प्रदान करने के लिये हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) नियम में संशोधन किया गया है जिसमें कामगारों को पहचान पत्र जारी करने के लिये प्रावधान है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, शिमला में स्थित है। इस योजना के अर्न्तगत कारखाने तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है। इस समय इस योजना के अर्न्तगत 11,346 संस्थानों में 13,31,126 कर्मचारियों को लाया जा चुका है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम,1948

क्षेत्रीय निदेशक ई0एस0आई0 कॉरपोरेशन का कार्यालय बददी (ई0एस0आई0 कॉम्प्लैक्स) में स्थित है। यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निःशुल्क चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहाँ पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शैडों में लागू नहीं होता। जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 15,000/- रुपये से अधिक है वह इसके अर्न्तगत नहीं आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के अंशदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है। यह योजना जिला सोलन:- (1) सोलन (2) बरोटीवाला (3) बददी (4) परवाणु (5) नालागढ़, जिला सिरमौर:- (1) पांवटा साहिब (2) काला अम्ब, जिला ऊना:- (1) मैहतपुर (2) बाथड़ी (3) गगरेट (4) नंगल खुड़द, (5) टाहलीवाल, (6) बाथु, (7) श्यामपुरा, (8) गौन्दपुर, (9) जयचन्द, (10) सीमा, (11) देवली, (12) जीतपुर, (13) बहेड़ी, (14) शिवपुर, (15) टट्टेरा, (16) जलग्राम, (17) टिब्बा, (18) बैहड़ाला तथा जिला शिमला:- (1) शिमला नगर निगम क्षेत्र एवं शोधी औद्योगिक क्षेत्र, जिला बिलासपुर में गोलथार्ई औद्योगिक क्षेत्र तथा जिला मण्डी: (1) मण्डी (2) रती (3) नेरचौक (4) भंगरोटू (5) चक्कर एवं (6) गुटकर एवं जिला कांगड़ा के (1) तहाल, (2) रौड़ी, (3) संसारपुर (4) महाल रौड़ी में लागू है। श्रमिकों के लिये मैहतपुर, बरोटीवाला, सोलन और बददी में डिस्पैन्सरियों के अतिरिक्त परवाणु में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कार्य कर रहा है। इसके साथ क्षेत्रीय निदेशक ई0एस0आई0 कॉरपोरेशन का कार्यालय बददी (ई0एस0आई0 कॉम्प्लैक्स) में स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के बददी में ई0एस0आई0 कॉरपोरेशन का सुपर स्पैशलिटी अस्पताल स्थापित है और जिला मण्डी में ई0एस0आई0 कॉरपोरेशन का सुपर स्पैशलिटी अस्पताल एवं मैडिकल कॉलेज बन चुका है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम दाड़लाघाट, बागा, बटेड़ एवं सुहली दवारूखाना रौड़ी में भी लागू हो चुका है।

कामगारों के लिये शिक्षा योजना

हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त हिमाचल प्रदेश इस बोर्ड के अध्यक्ष है। कामगारों को श्रम अधिनियमों एवं नियमों में निहित सेवा शर्तें, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना तथा उत्पादकता, औद्योगिक सम्बन्ध और दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है। कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो।

अध्याय-5

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिति का काजा उप-मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण धर्मशाला में स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लु तथा लाहौल स्पिति का लाहौल भाग शामिल है। इन न्यायालयों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद के बराबर के एक-एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं:-

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2
2.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2
3.	स्टैनो टाईपिस्ट	2
4.	वरिष्ठ सहायक-कम-रीडर	4
5.	अहलमद	4
6.	चालक	2
7.	दपतरी	2
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
9.	स्वीपर-कम-चौकीदार	1

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत की गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को श्रम विभाग इन न्यायालयों एवं न्याय प्राधिकरणों को न्याय निर्णय हेतु अधिसूचित करता है। इसके अतिरिक्त कामगार देय राशि भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र सीधे तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुरूप श्रम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक

प्राधिकरण की शक्तियां दी गई हैं जबकि कई अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक प्राधिकरण अलग-अलग हैं। श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अर्न्तगत दावों पर भी निर्णय करता है।

उपरोक्त न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर भी प्रदेश के कामगारों के दावों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि कामगार जो दूर-दराज के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अपने मुकदमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके। ये न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

1.4.2017 से 31.3.2018 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1	1.4.2017 को लम्बित मामले	1791	170	1961
2	1.4.2017 से 31.3.2018 तक प्राप्त मामले	332	376	708
3	31.3.2018 को कुल मामले	2123	546	2669
4	1.4.2017 से 31.3.2018 तक निपटाये गये मामले	548	205	753
5	31.3.2018 को लम्बित मामले	1575	341	1916

विभाग में वर्ष 1994 में विधि सहायक का पद उपलब्ध करवाया गया जो कि वर्ष 2007 में विधि अधिकारी (राजपत्रित श्रेणी- II) के नाम से पुनः नामित किया गया। तदनुसार निदेशालय स्तर पर एक विधि कक्ष की स्थापना की गई जो कि माननीय न्यायालय के मामलों में एवं शाखा अधिकारी की आवश्यकता अनुसार कानूनी सलाह प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग में विधि अधिकारी का एकमात्र पद है और उसे सरकारी स्तर पर सरकार तथा श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित सभी मामलों को देखना होता है। दिनांक 1-4-2017 से 31-3-2018 की अवधि के दौरान विभिन्न न्यायालयों से कुल 163 मामले विधि अधिकारी को प्राप्त हुये।

दिनांक 1-4-2017 से 31-3-2018 तक निदेशालय श्रम एवं रोजगार, हि0 प्र0 के न्यायालय में मामलों का विवरण:-

क्रमांक	माननीय न्यायालय का नाम	31-3-2017 तक कुल मामले	01-4-2017 से 31-3-2018 तक प्राप्त कुल मामले	31-3-2018 तक कुल मामले	31-3-2018 तक कुल निपटाये गये मामले	31-3-2018 को कुल लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	32	1	33	23	10
2.	हि0 प्र0 उच्च न्यायालय	1299	127	1426	1183	243

3.	हि० प्र० प्रशासनि क प्राधिकरण	99	35	134	41	93
2.	अवर श्रेणी न्यायालय	23	—	23	5	18
	कुल	1453	163	1616	1252	364

अध्याय-6

Budget & Actual Expenditure Statement Figures

Demand No:27-Labour,Employment & Training.

S. No.	Head of Account	Sactioned Budget 2017-18 (in Rs.)		Actual Expenditure 2017-18 (in Rs.)	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour,001-Direction & Administration, 01-Staff at the Hqrs.	-	11307939	-	11307939
2.	01-Labour,101-Industrial Relaltions, 01-Enforcement of Labour Laws.	-	42137251	-	42137251
3.	01-Labour-101-Industrial Relaltions-02- Industrial Disputes	-	14197520	-	14197520
3.	01-Labour,101-Industrial Relations, 03-Wage Board	-	56341731	-	56341731
4.	01-Labour,102-Working Conditions & Saftey,01-Inspectorate of Factories.	-	68466909	-	68466909
5.	01-Labour,103-General Labour Welfare, 01-Education	-	-	-	-
6.	02-Employment, 001-Direction & Administration-01-Staff at the Directorate of the Employment.	-	5283923	-	5283923
7.	02-Employment,004-Research ,Survey & Statistics, 01-Collection of EMI	-	5048995	-	5048995
8.	02-Employment,101-Employment Services, 01-Extension Coverage of Employment Services.	-	79681018	-	79681018
9.	02-Employment,101-Employment Services, 02-Vocational Guidance & Employment Counselling.	833013	2293534	833013	2293534
10.	02-Employment,101-Employment Services, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.	-	462134	-	462134

11.	02-Employment,101-Employment Services, 05-Special Employment Exchanges(Scheduled Castes)	-	1204884	-	1204884
12.	03-Training, 003-Training of Craftsman & Instructors, 09-Skill Development Allowance.	-	587138367	-	587138367
13	02-Employment, 800-Other Expenditure, 01-Unemployment Allowance	-	184662076	-	184662076
13.	2059-Minor Works-01-053-42	-	1000	-	0
14.	4250-Capital Works	7500000	-	7500000	-
15.	2235-Pensioners of Labour & Employment Department.	-	5684000	-	5683833
	Total:	8333013	1063911281	8333013	1063910114

BUDGET & ACTUAL EXPENDITURE STATEMENT FIGURES DEMAND NO-31-TRIBAL DEVELOPMENT

1.	01-Labour, 796-Tribal Area-Sub-Plan,01-Expenditure on inforcement of Labour Laws	144000	2478000	143978	1935945
2	02-Employment,796-Tribal Area Sub Plan, 01-Expenditure on Employmen Services	846000	4590000	844206	4590436
3,	03-Training, 796-Tribal Area Sub Plan, 06-Skill Development Allowance	-	10400000	-	2503865
	TOTAL	990000	17468000	988184	9030246

CENTRALLY SPONSORED SCHEMES (100% PLAN CENTRAL)

1.	02-Employment-101-Employment Services-04-Model Career Centre				
	Office Expenses		-		-
	Minor Works		-		-
	Rem. to Out Source	41500		41500	-
	Total:	41500		41500	-

Receipt Major Head-0230 Financial Year 2017-18.

Sr.No.	Head of Account	Estimated Receipt (in Rs.)	Actual Receipt (in Rs.)
1.	0230-00-101-01 Under Labour Laws	11000	212802
2.	0230-00-102-01 Regn. Of Trade Union	6000	4510
3.	0230-00-104-01 Fees Under Factory Act	36855000	28296980
4.	0230-00-106-001 Fees Under Contract Labour Act	694000	897971
5.	0230-00-800-01 Fees Under Motor Transport Act	153000	118055
6.	0230-00-800-02 Fees Under Shops &	5203000	5120808

	Comm.Establishment Act		
7.	0230-00-800-05 Recovery of Over Payment	36000	760834
8.	0230-00-800-07-Others Misc Recovery	48000	981917
9.	0230-00-800-10-Cess	5224000	6630969
10.	0230-00-800-11 Fine under BOCW Act.	110000	20320
	Total:	48340000	43045166

अध्याय—7

Right to Information Government of Himachal Pradesh Department of Labour & Employment

No.Shram(A)4-2/2005 Dated: Shimla:171001

the 10th April,2007.

Notification

In exercise of the power conferred by clause (b) of Sub section (1) of section 4 of the Right of Information Act,2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the records and other activities of the Labour & Employment Department, as under :-

	The particulars of its organisation, functions and duties	The Department of Labour & Employment came into existence in 1972 after segregation from Industries Department. It is mainly responsible for implementation of various Labour Laws (27 Central & 2 State Acts) and for providing employment assistance to job-seekers. The Department has been playing the role of a facilitator and regulator. It comprises of 3 wings- Labour, Factories & Employment. The Labour wing is primarily looking after the welfare, health & safety of the workers in the industrial and commercial establishments. It is also responsible for maintaining industrial peace and harmony between the managements and the workers. The Factory Wing is responsible for approval of Building Plans of factories, issue and renewal of factory licence and inspection of factories to ensure compliance of provisions regarding health, safety and welfare of factory workers. The Employment wing helps the interested job seekers and other persons interested in self employment by way of registration, sponsoring and by providing vocational guidance and career counselling.
2.	The powers and duties of its officers and employees.	Cases which are disposed off at the level of <u>Secretary (Lab and Emp.) Govt. of HP</u> i) Establishment matter relating to Lab. & Emp. Deptt/ ii) Lok Sabha/ Rajya Sabha Questions. iii) Court Cases. iv) Budget, Financial matter/ Expenditure sanctions. v) Publication of Awards. <u>Deputy Secretary</u> i) All correspondence relating to personnel matters/ financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary.

		<p>ii) Public representations received in this office are forwarded to the concerned departments for report and appropriate action</p> <p><u>Section Officer</u></p> <p>i) To supervise all the work relating to personnel/ Budget and public representative etc.</p> <p>ii) To ensure all the Dealing Asstt. and Diarist are maintaining all required registers and keep the same updated.</p> <p>iii) To keep carefully watch on the movements of dak files between section and higher authorities.</p> <p>iv) To ensure timely submission of time bound cases/ Court cases.</p> <p>v) To ensure that all manuals, Rules, inspections, guard files etc. of the section are kept up to date.</p> <p><u>Superintendent</u></p> <p>i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control.</p> <p>ii) To ensure timely submission of all papers according to their priority.</p> <p><u>Sr./Jr. Asstt.</u></p> <p>i) Opening/ maintaining of files and noting and drafting up to date of various types of data and maintenance of various registers.</p> <p>ii) Establishment matters including R & P Rules, maintenance of Service Books, Service records, leave account, pension cases, disciplinary matters, pay fixation, finalisation of seniority, court cases and other misc. matters.</p> <p><u>Clerk</u></p> <p>i) Diary and despatch/ movement of files weekly & monthly statements etc.</p> <p>ii) Maintenance of leave account and other misc. work entrusted by the S.O.</p>
3-	The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.	All the cases in the Branch are submitted on file by the concerned Dealing Asstts. Supervised by the Supdt. and submitted to the S.O. He submits it further to the Under Secretary then to the Secretary. Routine matters and informatory references are disposed off at S.O./ Under Secretary level. Financial matters/ expenditure sanctions, decision taking power vests with the Secretary.
4.	The norms set by it for the discharge of its functions.	As stated at Point No. 2 & 3.

5.	The Rules, Regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control.	The various rules & Regulations/ instructions followed are as under:- <ol style="list-style-type: none"> 1. HPFRs 2. CCS & CCA Rules 3. Conduct Rules, 4. Medical Attendance Rules, 5. Delegation of financial powers. 6. LTC Rules/ GPF Rules/ Pension Rules etc. 7. R & P Rules. 8. Office Manuals.
6.	Statement of the categories of the documents that are held by it or under its controls.	N/A.
7.	The particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof.	N.A.
8.	A statement of the Board, Councils Committee & Other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards/ Councils/ Committee and other Bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.	N.A.

9.	A directory of its officers and employees.	<p>1. Secretary (Lab & Emp.)- Ph.No.2621876, 2880735</p> <p>2. Deputy Secretary.- Ph.No.2628499, 2880527</p> <p>3.Senior Private Secretary/P.A.-Ph.No.2621876, 2880735</p> <p>4. Section Officer-Ph.No.2880444</p> <p>5. Superintendent- Ph.No.2880544</p> <p>7. Sr. Asstts.-Ph.No. -do-</p> <p>8. Jr. Asstt.-Ph.No.-do-</p> <p>9. Clerks-Ph.No. -do-</p> <p>10. Peon. -Ph.No. -do-</p>
10.	The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.	N.A.
11.	The Budget Allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made.	N.A.
12.	The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	N.A.
13.	Particulars of recipients of concessions permits or authorizations granted by it.	N.A.
14.	Details in respect of the information available to or	N.A.

	held by it, reduced in an electronic form.	
15.	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained for public use.	N.A.
16.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	This department vide Notification dt. 31.10.05 has already designated the officers of the Lab and Employment Deptt. As Appellate Authority/ Public Information Officer. The said information is also available on the official website of the State Government.
17.	Such other information as may be prescribed.	The list of all the Acts and Rules which are pertaining to the L & E Deptt. is available on the Website of the Deptt.

BY ORDER

Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of HP

11Endst. No. Shram(A)4-2/2005 dated Shimla-2 the 10th April,2007

Copy to: -

The Principal Secretary (AR) to the Govt. of HP Shimla-2.

9. All the Admn. Secretaries, H.P. Shimla-2.

10. All the HOD's in HP.

11. All Div. Commissioners,/ DCs in HP

12. The Controller, P & S H.P. Shimla-5, for publication in the Rajpatra (Extra ordinary)

13. Guard File.

Sd/-

Deputy Secretary (Lab.&Emp.)
to the Government of HP

अध्याय-8

Government of Himachal Pradesh.
Directorate of Labour & Employment

No: Shram(Prastha)11/05 Dated Shimla-171001 31/03/2017

OFFICE ORDER

The particulars of the organization, functions and duties etc. required to be published as per provisions of Sub-Section (1)(b) of Sec.4 of the Right to Information Act, 2005 are as under:-

(I) Particulars of Labour & Employment Department, its Functions & Duties.

The Department is regulatory in nature and primarily concerned with ensuring the implementation of Labour Acts (26 Central & 2 of the State) and of the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Participations) Act, 1995. The Labour Wing of the department is primarily responsible for implementation/enforcement of Labour Laws and maintaining Industrial Peace. The Factory Wing is looking after the Registration of Factories, welfare & safety of workers working in such Factories. The Employment Wing gives Employment Assistance, primarily to the youth.

The names of the Labour Acts are as under:-

1. Bonded Labour System(Abolition) Act, 1976
2. Contract Labour(Regulation and Abolition)Act, 1970
3. Child Labour(Regulation and Prohibition)Act, 1986
4. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
5. Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981
6. The Building and other construction workers Cess Act, 1996
7. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
8. Employees State Insurance Act, 1948.
9. Equal Remuneration Act, 1976.
10. Factories Act, 1948.
11. Industrial Dispute Act, 1947.
12. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.
13. Interstate Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.
14. The Labour Laws (Exemption from furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988.
15. Maternity benefit Act, 1961.
16. Minimum Wages Act 1948
17. Motor Transport Workers Act, 1961.
18. Payment of Bonus Act, 1965,
19. Payment of Gratuity Act, 1972.
20. Payment of Wages Act 1936,
21. Plantation Labour Act, 1951.
22. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976.
23. Trade Unions Act, 1926.
24. Working Journalists and other Newspapers Employees (Condition of Service and Miscellaneous provisions) Act, 1955
25. Workman Compensation Act, 1923.

26. Employment Exchanges(Compulsary Notification of Vacancies)Act,1959
27. Persons with Disabilities (Full Participation, Equal Opportunities & Protection of Rights) Act,1995.

STATE ACTS

1. Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act,1969
2. H.P.Industrial Establishments (National & Festivals Holidays, Casual & Sick leave) Act,1969

(II) Powers and duties of Officers and Employees:

Labour Commissioner- cum Director of Employment is also the Chief Inspector of Factories, Registrar of Trade Unions, Chief Inspector of Shops and Conciliation Officer under Industrial Disputes Act, 1947.

The Directorate monitors the working of the field offices .Registration of Factories is done under the Factories Act,1948 and disputes are referred to the two Labour Courts -cum- Industrial Tribunals in H.P. at Shimla and Dharamshala under the Industrial Disputes Act,1947, Registration of Trade Unions is done under the Trade Union Act,1926 Registration of Motor Transport is done under Motor Transport Act Prosecution sanctions are given to the field functionaries to launch prosecution against the defaulters under various Labour Laws.

Employment Assistance is provided to Physically Handicapped and sponsoring of skilled registrants to private sector, inspection of sub-ordinate offices and Establishments in Private and Public Sector.

POWER & DUTIES:

Labour Commissioner:

Labour Commissioner is functioning as Chief Inspector of Factories, Chief Inspector of Shops and Commercial Establishments under the respective Acts. The Labour Commissioner is also functioning as Conciliation Officer under the Industrial Disputes Act, 1947 and Registrar Trade Unions under the Trade Unions Act, 1926. The Labour Commissioner also functions as Inspector under the various Labour laws and the Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Order) Act.

Joint Labour Commissioner:

The Joint Labour Commissioner is functioning as Additional Chief Inspector of Factories under the Factories Act,1948 and the Certifying Officer under Industrial Employees(Standing Orders)Act, Appellate Authority under the Payment of Gratuity Act and also functioning as Inspector under various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Deputy Labour Commissioner:

The Deputy Labour Commissioner is functioning as Deputy Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948, Appellate Authority under the Contract Labour Act(R&A)Act,1970, Registering Officer under the Motor Transport Worker Act,1961 and also functioning as Inspector under the various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Labour Officers & Labour Inspectors:

Labour Officers and Labour Inspectors are also Conciliation Officers for Industrial Disputes .Labour Officers act as controlling authority to decide claims of gratuity under Payment of Wages Act,1970.Registration Officers and licensing officer under Contract -Labour Act(R&A)Act,1970 and Inter State Migrant Workmen(RECS)Act .Where there are more than 200 workers and Labour Officer is not posted in the District, there District Employment Officers discharge the duty of Conciliation Officer to try and resolve Industrial Dispute arising between management and workers. They also carry out Inspection of Public and Private Sector Units. Labour Officers and Labour Inspectors ensure implementation of Labour Acts including the shops registration, implementation of Minimum Wages and forwarding of cases regarding violation of provision of payment of wages ,Gratuity, Bonus to Directorate for obtaining prosecution sanctions.

Deputy Director of Factories:

Deputy Director of Factories looks after Registration of Factories and Safety & welfare of workers working therein.

EMPLOYMENT SECTION

At the Directorate Labour Commissioner-cum-Director of Employment is assisted by Deputy Director Employment and by Employment Market Information Officer, State Vocational Guidance Officer, Officer in Charge (Placement), (Special Employment Exchange for Physically Handicapped) and Employment Officer (Central Employment Cell).

Regional Employment Officers and District Employment Officers give Vocational Guidance, Career Counseling and Employment Assistance for jobs in Private

Sector and Govt. Sector as well as for self employment, to such persons who are residing in their territorial jurisdiction. They also inspect subordinate Employment Exchanges. Private and Public sector establishments in their districts are also inspected by them and Employment Officers, Superintendent Grade-II and Statistical Assistants. In charges of Sub Office Employment Exchanges are also carrying out these functions except that of inspection. The two UEIGBs at HPU Shimla and Chaudhery Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur are giving vocational guidance mainly to the respective University students.

(III) Procedure followed in decision making process including channels of supervision and accountability:

All offices are working independently but under administrative control of next higher office. They can also be inspected by superior departmental officers .The office of Assistant Director of Factories Una , all University Employment Information Guidance Bureaus , Regional Employment Exchanges, District Employment Exchanges and office of Labour Officers are audited by A.G.Office from time to time.

(IV) The norms set by discharge of its function:

Registration and renewal of registration in Employment Exchange is done on the same day and sponsoring of registrants is also done within scheduled time (Generally four weeks).

(V) The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control:

Being a regulatory department it ensures the implementation of the Acts (and Rules) as mentioned at Sr. No. I hereinabove as also all Rules and instructions of Himachal Pradesh Govt. applicable on the Departments.

(VI) Statement of the categories of the documents:

A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control. Files related to ensuring the implementation the Acts & Rules mentioned against Sr.No.(V)hereinabove. Also files related to Budget, Plan, and Annual Administrative Report etc.

(VII) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof;

- a) State Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of Hon'ble Employment Minister as Chairman, 16 Members and Director of Employment as Member Secretary includes representatives of Employers workers as well as public representatives.

- b) District Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of respective DCs as Chairman, 10 members and respective REOs/DEOs as Member Secretary including representatives of employers, workers and public representatives.
- c) Minimum Wages Advisory Board constituted on 1.9.2003 comprising of Chairman, 37 members and member Secretary and constituted a committee on 30.1.2004 comprising of Chairman, 11 members and member Secretary.
- d) Expert Committee under Building and Construction Act constituted on 24 Sep, 2003 comprising of Chairman, 9 members and member secretary
- e) Regional Board for H.P. Region under ESI Act, 1948 which consist of a Chairman, Vice-Chairman, 3 members, Ex-Officio member, 2 Employees Representative, 6 Employers Additional Representative and member Secretary.
- f) Regional Committee for State of H.P. under Employee Provident Fund Scheme, 1952 which consists of Chairman. 2 official members, 5 members of employers representative, 5 members of Employees representatives
- g) Three local committees under Regional Board constituted under ESI(Gen)Regulation, 1950 consisting following members: Chairman, Member ,Labour Inspector, Medical Officer, Incharge 4 members of Factory & Branch Manager, ESI Corporation.
- h) State level Tripartite Committee which consist of Chaiman, Vice-Chairman, 14 members and Member Secretary.
- i) State Advisory Contract Labour Board consisting Chairman, 7 members, Member Secretary.
- j) State Labour Welfare Board consisting Chairman (Hon'ble Chief Minister) 112 Members and Member Secretary.

(VIII) A statement of the board, councils committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards ,councils ,committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.

As mentioned against item no (vii) hereinabove meetings are not open to public as such However, due care has been taken to involve all the stake holders.

(IX) A Directory of Officers and Employees:

	Name of the Officer	Designation	Office Telephone Nos.
1.	Sh. Himanshu Shekhar Choudhary, IAS	Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P .	0177-2625085
2.	Sh. A.K.Sood	Deputy Director Factories,	0177-2624157

		Directorate	
3.	Sh. Sudesh Kumar Dhiman	Deputy Director Factories, Una	01975-224095
4.	Sh. T.R.Azad	Joint Labour Commissioner-1, Directorate	0177-2624157
5.	Sh. R.P.Rana	Deputy Labour Commissioner-II, Directorate.	0177-2624305
6.	Sh. Krishan Kumar Sharma	Employment Officer, Central Employment Cell, and State Vocational Guidance Officer holding additional charge of Dy.Director Employment.	0177-2624205
7.	Smt. Nirmala Sharma	District Employment Officer, Solan	01792-223746
8.	Smt.Sangeeta Gupta	District Employment Officer, Shimla	0177-2658174
9.	Sh.R.C.Katoch	District Employment Officer, Una	01975-226063
10.	Sh. G.D.Kalta	Officer Incharge Placement (Physically Handicapped Cell) and Employment Market Information Officer,	0177-2620229
11.	Sh. V.P.Rana	District Employment Officer, Kangra	01892-224892
12.	Sh.V.P.Rana	District Employment Officer, Hamirpur	01972-222318
13.	Sh. Yog Raj	District Employment Officer, Keylong	01900-222252
14.	Sh. Anil Chandel	Supdt. Grade-II Holding The Charge of District Employment Officer, Kullu	01902-222522
15.	Sh. Prem Singh	District Employment Officer, Rekong-Peo	01786-222291
16.	Sh. Safra Ram	Supdt. Grade-II Holding The Charge of District Employment Officer, Chamba	01899-222209
17.	Sh. Rajesh Mehta	Supdt. Grade-II Holding The Charge of District Employment Officer, Bilaspur	01978-222450
18.	Sh. Balwant Singh	Supdt. Grade-II Holding the Charge of District Employment Exchange, Sirmour at Nahan	01702-222274
19.	Smt. Manorma	Employment Officer, Holding The Charge of Regional Employment Officer, Mandi	01905-235508
20.	Sh.Prem Singh	Labour Officer, Reckong Peo	01786-222007

21.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer, Dharamshala	01892-223745
22.	Sh. Raj Kumar	Labour Officer, Chamba	01899-223233
23.	Sh. Rajesh Panghania	Labour Officer, Solan	01792-235542
24.	Sh. Dinu Ram (L.I.)	Additional Charge, Labour Officer, Kullu	01902-223698
25.	Sh. Puran Chand	Labour Officer, Mandi	01905-225329
26.	Sh. Pyare Lal	Labour Officer, Bilaspur	01978-221516
27.	Sh. Jatinder Bindra	Labour Officer, Una	01975-224243
28.	Sh. Munish Karol	Labour Officer, Baddi	01795-271210
29.	Sh.Chander Mani Sharma	Labour Officer, Rampur	01782-234286
30.	Sh. Rajinder Singh	Labour Officer, Sirmour at Nahan	01702-226144
31.	Sh. Pratap Singh Verma	Labour Officer, Shimla Zone, Shimla	0177-2624706

(X) The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations.

Post	Pay Scale
Labour Commissioner-cum-Director of Employment, IAS.	37400+67000+8700 G.P.
Deputy Director of Factories	15600-39100+7800 G.P.
Joint Labour Commissioner	15600-39100+6600 G.P.
Deputy Labour Commissioner	15600-39100+6000 G.P.
Deputy Director of Employment	15600-39100+6000 G.P.
District Employment Officers	15600-39100+5400 G.P.
Regional Employment Officers	10300-34800+5000 G.P.
Superintendent Grade-I	15600+39100+5400 G.P.
Labour Officers	10300-34800+5000 G.P.
Employment Officers	10300-34800+5000 G.P.
Law Officer	10300-34800+4400 G.P.
Superintendent Grade-II	10300-34800+4800 G.P.
Personal Assistant	10300-34800+4800 G.P.
Senior Scale Stenographer	10300-34800+4400 G.P.
Statistical Assistant	10300-34800+4400 G.P.
Senior Assistant	10300-34800+4400 G.P.
Labour Inspectors	10300-34800+4200 G.P.
Computer Operator	10300-34800+3200 G.P.
Junior Assistant	10300-34800+3600 G.P.

Junior Scale Steno	10300-34800+3600 G.P.
Driver	5910-20200+2000 G.P.
Steno-typist	5910-20200+2000 G.P.
Clerk	5910-20200+1900 G.P.
Daftri	4900-10680+1800 G.P.
Peon, Chowkidar & Sweeper	4900-10680+1650 G.P.
Frash	4900-10680+1650 G.P.

- (XI) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans ,proposed expenditures and reports on disbursement s made;
Standard Object of Expenditure wise budget is allocated to each Drawing and Disbursing Officer and expenditure is regularly monitored.
- (XII) The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details beneficiaries of such programmes;
Not Applicable.
- (XII) particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it;
Not Applicable.
- (XIII) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form;
Registration record of Regional Employment Exchange Shimla, Registration record of Central Employment Cell at Directorate , Salary disbursement at Directorate.
- (XIV) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained, for public use. ;
The offices of the department are open to citizens for obtaining information on all working days, especially on all working Mondays when officers are available for meeting the citizens.
- (XV) The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

Name of Department: Labour & Employment, Himachal Pradesh

Detail of PIO & Appellate Authority

A	Name of the PIO	Designation	Complete Office Address	Office Telephone Nos.
1.	Sh. A.K.Sood	Deputy Director Factories	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1	0177-2424157
2.	Sh. Krishan Kumar	Deputy Director	Directorate of Labour &	0177-2624305

	Sharma	Employment	Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1	
3.	Sh. R.P. Rana	Deputy Labour Commissioner	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1	0177-2624157
4	Smt. Nirmala Sharma	District Employment Officer	District Employment Exchange, Solan	01792-223746
5.	Smt. Sangeeta Gupta.	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, U.S. Club, Shimla	0177-2658174
6.	Sh. R.C. Katoch	Additional Charge of District Employment Officer	District Employment Exchange, Una	01975-226063
7.	Sh. G.D. Kalta,	District Employment Officer	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1	0177-2625277
8.	Sh. R.C. Katoch	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Dharamsala.	01892-224892
9.	Sh. Yog Raj	District Employment Officer	District Employment Exchange, Hamirpur	01972-222318
10.	Sh. Anil Chandel	Superintendent Grade-II and holding the charge of District Employment Officer	District Employment Exchange Kullu.	01902-222522
11.	Sh. Dinu Ram	Additional Charge of District Employment Officer	District Employment Exchange, Kinnaur	01786-222291
12.	Sh. Safra Ram Supdt.-II	Additional charge of District Employment Officer	District Employment Exchange, Chamba.	01899-222209
13.	Sh. Rajesh Mehta Supdt. Grade-II	Additional Charge of District Employment Officer	District Employment Exchange, Bilaspur.	01978-222450
14.	Sh. Balwant Singh Supdt. Grade-II	Additional Charge of District Employment	District Employment Exchange, Nahan	01702-222274

		Officer		
15.	Smt. Manorma Devi Employment Officer	Employment Officer holding the additional Charge of District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Mandi	01905-235508
16.	Sh. Dinu Ram	Labour Officer, Reckong Peo	Labour Office, Kinnaur at Reckong Peo	01786-222007
17.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer, Dharamshala	Labour Office, Dharamshala.	01892-225329
18.	Sh. Raj Kumar	Labour Officer, Chamba	Labour Officer, Chamba	01899-222209
19.	Sh. Rajesh Panghania Labour Officer	Labour Officer, Solan	Labour Office, Solan	01792-230745
20.	Sh. Puran Chand (L.O.)	Additional Charge, Labour Officer, Kullu	Labour Office, Kullu	01902-222522
21.	Sh. Puran Chand Thakur	Labour Officer, Mandi	Labour Office, Mandi	01905-235542
22.	Sh. Jatinder Singh Bindra	Labour Officer, Una	Labour Office, Una	01975-224243
23.	Sh. Munish Karol	Labour Officer, Baddi	Labour Office, Baddi	01795-271210
24.	Sh. Chander Mani Sharma	Labour Officer, Rampur	Labour Office, Rampur	01782-234286
25.	Sh. Rajinder Singh	Labour Officer Sirmour at Nahan	Labour Office, Nahan	01702-222274
26.	Sh. Partap Singh Verma	Labour Officer, Shimla	Labour Office, Shimla Himrus Bhawan, H.P	0177-2624706
27.	Sh. Pyare Lal	Labour Officer, Bilaspur	Labour Officer, Bilaspur	01978-222450

B. Appellate Authority

1	Sh. Himanshu Shekhar Choudhary, IAS.	Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P.	New Himrus Bhawan Shimla-171001	0177-2625085
---	--------------------------------------	--	---------------------------------	--------------

(XVI) **Such other information may be prescribed; and thereafter update those publications every year.**

Annual Administration Report is issued every Financial Year.

Sd/-

Labour Commissioner-cum-
Director of Employment, H.P.

Endst.No:Shram(Prastha)11/05-1 Dated Shimla-171001 the 28 March,2017

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. The Principal Secretary (Labour & Employment) to the Govt. of H.P.Shimla-2
2. The Pr. Secretary (AR) to the Government of H.P.Shimla-2.
3. All the Head of Departments in Himachal Pradesh.
4. All the concerned officers in the Labour & Employment Department, H.P.
5. All Officers in the Directorate of Labour & Employment, H.P.
6. All the Deputy Commissioners in H.P.
7. The Director information Technology, Shimla-171009
8. Notice Board.

Sd/-
Labour Commissioner-cum-
Director of Employment, H.P.